

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेंट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 93 / 2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री विमला परसोया पत्नी छगन लाल बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी एवं अति0
निवासी 2 एफ 16, नया हाउसिंग बोर्ड, जिला कलक्टर (प्रशासन)
भीलवाड़ा भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपरिस्थित :-प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 14.12.2022



अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 09.11.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रूपये के पोस्टल ऑर्डर संख्या 54 एफ 905941 के साथ एक आवेदन दिनांक 26.09.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा उक्त आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को अंतरित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.11.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सूचना प्रकोष्ठ/2022/20314 दिनांक 29.11.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना की कुल प्रतिलिपियां 03 (तीन) तैयार कर, कुल प्रतिलिपि शुल्क राशि 06/- रूपये की रसीद प्राप्त कर सूचना अपीलार्थी/प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 14.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेंट अधिकारी
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा